



अधिसूचना  
=====

राजस्थान अधिसूचना अधिनियम, 1955 का राजस्थान अधिनियम 31 की धारा 257 द्वारा प्रदत्त प्रावधानों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा राजस्थान अधिसूचना (सरकारी) नियम, 1955 में निम्नलिखित संशोधन करती है और उक्त अधिनियम की धारा 259 की उपधारा 11 के परन्तुक के प्रति निर्देशन से आदेश देती है कि उक्त संशोधन को पूर्व प्रकाशन से अधिसूचित प्रदान की जाये क्योंकि राज्य सरकार का विश्वास है कि इसे तुरन्त प्रदत्त किया जाना चाहिये, अर्थात:-

संशोधन :-

राजस्थान अधिसूचना (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 24 ईई के नियम निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा अर्थात :-  
" परन्तुक आदेशक की शक्ति पर सड़े यूकेलिप्टस, सु बबूल, आडू, चिनायती बबूल और इजरायली बबूल को हटाने के लिए अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं होगी "

राज्यपाल की आज्ञा से,  
ह0/-

उप प्रासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आचार्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है

- 1- निर्वाह सचिव, मुख्य मंत्री/राजस्थान मंत्री/राजस्थान मंत्री, राजस्थान ।
- 2- निजी सचिव, मुख्य सचिव/राजस्थान सचिव/राजस्थान सचिव ।
- 3- समस्त संभागीय अधिकारी, राजस्थान ।
- 4- भू-संवर्धन आयुक्त जयपुर/मुख्य वन संरक्षक ।
- 5- समस्त जिला कलेक्टर ।
- 6- प्रांतीयक राजस्थान मंडल राजस्थान अजमेर की सभी 20 प्रतियों के ।
- 7- सचिव, राजोत्थि. सम. 7 प्रतियों के ।
- 8- उप निदेशन आयुक्त लीकानेर ।
- 9- निदेशक जन संपर्क विभाग, जयपुर ।
- 10- अधिक्षक केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राजोराज-पत्र के विशेषांक दिनांक 29.6.89 के प्रकाशनार्थ ।
- 11- विधि संहिताकरण विभाग को 7 प्रतियों के ।
- 12- "राजस्थान" राजस्थान मंडल, अजमेर ।
- 13- और प्रशिक्षण शाला, कोटा, डी.ग. उदयपुर एवं गंगानगर ।
- 14- सहायक राजस्थान प्रशिक्षण स्कूल टोंक ।
- 15- सहायक चिनायती, .....

ह0/-

उप प्रासन सचिव

:: कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर ::

प्रतिलिपि समस्त वनाधिकारियों को सूचनाार्थ एवं आचार्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है ।

वन संरक्षक मुख्यालय